न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
45/2009	13.02.2009	04.07.2025

बउनवान

1. नवल सिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रोहताश पुत्र श्री बुधराम जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. मंगूमल उर्फ मघनदास पुत्र मोहूमल जाति खत्री (सिंधी) निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर जर्ये मुख्तायारआम नत्थूमल पुत्र श्री थावरमल जाति खत्री (सिंधी) निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल आबाद शंकर गुजर गली मकान नम्बर 515 चांदी की टकसाल जयपुर राज0।
2. साधूमल पुत्र श्री खुशालबास जाति सिंधी निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि प्रतिवादी मंगूमल उर्फ मधनदास पुत्र पोहूमल जाति खत्री (सिंधी) निवासी ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान को आराजी गत ख0 नं0 1365 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान पुर्नवास विभाग द्वारा अलॉट (आवंटन) की गयी थी, जिसकी बाबत अलॉटी मंगूमल उर्फ मधनदार को सनद खातेदारी प्राप्त हो जाने पर उसने मंगूमल उर्फ मधनदार को अपने मुखत्यारनाम नत्थूराम के जर्ये आराजी साबिक ख0 नं0 1365 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान का विक्रय 6000 रूपये रोकडी मे जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 6/7/1982 को वादीगण नवलसिंह व रोहताश को कर दिया। ओर उसी समय वादीगण क्रेतागण से प्रतिफल की राशि चुकता प्राप्त कर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण क्रेतागण को वास्तविक कब्जा मौके पर उसी समय दे दिया। वादीगण संख्या 1 व 2 आराजी साबिक ख0 नं0 1365 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा पर खरीद के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है और मौके पर काश्त करते चले आ रहे है, इस समय वादीगण ने आराजी में फसल सरसू बो रखी है।

2. यह है कि आराजी साबिक ख० नं0 1365 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान का भू प्रबन्ध एवं भू प्रबन्ध अभिलेख सं0 2029 तदनुसार सन् 1972 मे सम्पन्न हुआ है जिसके परिणामस्वरूप हाल ख0 नं0 2599 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पैमूद हुआ है, ख0 नं0 2599 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान को वाद मे विवादित आराजी के सम्बोधित किया जा रहा है। ख0 नं0 2599 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा मे प्रतिवादी मंगूमल उर्फ मधनदास गुलाटी की 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि जो साबिक ख० नं0 1365 का रकबा था वह शामिल है।
3. यह है कि वादीगण सं0 1 व 2 दोनो विवादित आराजी हाल ख० नं0 2599 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा मे से रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा को अलोटी खातेदार मंगूमल उर्फ मधनदार पुत्र पोहूमल जाति खत्री (सिंधी) निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान से 6000 रूपये रोकडी में जरिये रजिस्टर्ड वैयनामा दिनांक 6/7/1982 से आज तक कय की गयी आराजी पर बैहसियत खातेदार काश्तकार काबिज है, काश्त कर रहे है और वादीगण ने आराजी ने फसल सरसूं बो रखी है। वादीगण के पक्ष में नामान्तरण उपरोक्त रजिस्टर्ड बैयनामे के आधार पर स्वीकृत हो चुकी है।
4. यह है कि प्रतिवादी मंगूमल उर्फ मधनदार पुत्र पोहूमल ने आराजी हाल ख0 नं0 2599 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा मे से रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का विकय जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 6/7/1982 वादीगण को कर दिया। मंगूमल उर्फ मधनदार की शेष आराजी 5 बिस्वा पर भी वादीगण दिनांक 6/7/1982 से आज तक प्रतिवादी की मर्जी के खिलाफ शांती पूर्वक अपने अधिकार में आज तक काबिज है, और मौके पर काश्त कर रहे है और रकबा 5 बिस्वा पर वादीगण को खातेदारी अधिकार कब्जा मुखालफाना के जरिये प्राप्त हो चुके है। अतः वादीगण विवादित आराजी हाल ख० नं0 2599 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के खातेदार काश्तकार काबिज है और मौके पर काश्त कर रहे है और न्यायालय श्रीमान से डिकी घोषणात्मक बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

4(अ) यह है कि प्रतिवादी सं० 2 के पिता खुशालदास का नाम राजस्व रिकोर्ड मे बिला कब्जा व बिना किसी कानूनी अधिकार के दरज किया गया

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

है जो इन्द्राज मिन वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है काबिल दुरूस्त है।

4 (ब) यह है कि राजस्व रिकोर्ड मे खुशालदास पुत्र भैरूमल गैर खातेदार का नाम मंगूमल उर्फ मधनदास को आवंटन के बाद गलत दरज रहा तथा भू प्रबन्ध विभाग ने उसे बिना किसी अधिकार के खातेदार गलत दरज कर दिया जो इन्द्राजात मिन वादी के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है।

5. यह है कि दिनांक 1/2/2009 को वादीगण विवादित में अपनी बोयी हुयी फसल सरसूं की रखवाली कर रहे थे कि प्रतिवादी मंगूमल उर्फ मधनदास के मुख्यातर आम नत्थूराम पुत्र थावरदास जाति खत्री ने हम वादीगण को धमकी दी है कि वह विवादित आराजी परवादीगण को काबिज नहीं रहने देगा और विवादित आराजी की फसल को जबरन लाठी के बल पर काटेगा और वादीगणस को जबरन व खिलाफ कानून लाठी के बल पर बेदखल करेगा। इसलिये यह दावा वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना लाजिम आया है। जो बिना किसी देरी के पेश किया जा रहा है।

6. यह है कि उपरोक्त वर्णित सूरत मे हम वादीगण प्रतिवादी के खिलाफ डिकी घोषणात्मक इस अमर की प्राप्त करने के अधिकारी हूँ कि वादीगण विवादित आराजी हाल ख० नं0 2599 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में से 2 बीघा 3 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 6/7/1982 एवं आराजी रकबा 5 बिस्वा जरिये कब्जा मुखालफाना वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के खातेदार काश्तकार है काबिज है और मौके पर काश्त कर रहे है। और अपने नाम का इन्द्राज विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में ताहाल तक बहैसियत खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है जिसके लिये यह दावा घोषणात्मक पेश किया जा रहा है।

7. यह है कि प्रतिवादी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है यदि प्रतिवादी विवादित आराजी में वादीगण की बोयी फसल को जबरन लाठी के बल पर काटकर ले जाने मे सफल हो गया और वादीगण को जबरन व खिलाफ कानून आराजी से बेदखल कर दिया तो अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी अन्य तरीके से होना संभव नहीं है और वादीगण को अनावश्यक मुकदमा बाजी में फंसना होगा। अतः वादीगण विवादित आराजी की बाबत प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस अमर की प्राप्त करने अधिकारी है कि प्रतिवादी वादीगण को विवादित आराजी से जबरन व खिलाफ कानून बेदखल न करे, वादीगण की बोयी हुयी फसल को नष्ट न करे वादीगण के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न ना करे आराजी को खुर्द बुर्द ना करे तथा आराजी को रहन, बैय, हिबा आदि के अन्य हंस्तातरित ना करे जिसके लिय यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार निर्णित एवं डिकी फरमाया जावे।

(1) यह है कि डिकी घोषणात्मक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाकर यह घोषणा की जावे कि वादीगण आराजी हाल ख० नं0 2599 रकबा 1.19 हैव0 में से रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 6/7/1982 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के खातेदार काश्तकार है, काबिज है और मौके पर काश्त कर रहे है। एवं उक्त आराजी के राजस्व रिर्कोड मे ताहाल तक अपने नाम का इन्द्राज बहैसियत खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है और उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त कराकर खुशालदास पुत्र भैरूमल का नाम हजफ कर ख0 नं0 2599 के 48/94 का 2/3 भाग वादी सं0 1 व वादी सं0 2 के 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जावे।

(2) यह है कि डिकी स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 2599 रकबा 1.19 हैक के 48/94 भाग वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान मे से प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन व खिलाफ कानून बेदखल ना करे वादीगण की बोयी हुयी फसल को नष्ट ना करे, तथा आराजी विवादित आराजी को रहन, बैय, हिबा आदि के अन्य हस्तातरित ना करे।

(3) यह है कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(4) यह है कि जो अन्य उचित आज्ञा न्यायसंगत हो बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादी सादिर फरमायी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण संख्या 01 की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया।

1. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 01 इतना स्वीकार है कि दिनांक 06.07.82 को खसरा साबिक 1365 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का बेचान किया था शेष कथन गलत है स्वीकार नही है।
2. यह है कि अर्जी दावा का जिमन नम्बर 2 इतना स्वीकार है कि सैटलमेन्ट विभाग ने हाल नम्बर 2599 मिन रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, कायम किये है।
3. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 3 इतना स्वीकार है कि 2599 में से रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, का बैयनामा कराया था शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि अर्जी दावा का जिमन नम्बर 4 गलत है स्वीकार नही है आराजी खसरा नम्बर 2599 मीन में रकबा 5 बिस्वा, मिन प्रतिवादी को कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। मिन प्रतिवादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादीगण का कोई लेना देना उक्त 5 बिस्वा, आराजी से नही है। ना कभी राहा है। मौके पर मिन प्रतिवादी 5 बिस्वा, पर काबिज है। वादीगन ने गलत तथ्यो के आधार पर दावा दायर किया है। क्योकि मिन प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी पर वादीगन का कोई अधिकार हासिल नही होते है ना ही खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा ही वादीगन का नही राहा तो – एडवर्श पजेशन का सवाल ही नही उढता है। इसलिए बेईमान की नियत से वादीगन ने मिन प्रतिवादी की आराजी को हडपने की नियत से दावा दायर किया जो कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा काबिल खारिज है। खारिज किया जावें।
5. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 5 गलत है स्वीकार नही है।
6. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 6 गलत है स्वीकार नही है। कोई घोषणा के अधिकारी नही है। इसलिए दावा वादीगन काबिल खारिज है। खारिज फरामाया जावें।
7. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 7 गलत है स्वीकार नही है। वादीगन को कोई हक हासिल नही है ना ही हो सकते है।
8. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 8 गलत है स्वीकार नही है
9. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 9 काबिल गौर अदालत श्रीमान है।
10. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 10 काबिल गौर अदालत श्रीमान है।
11. यह है कि अर्जीदावा का जिमन नम्बर 11 दावे का जिमन बाबत प्रार्थना गलत है स्वीकार नही है वादीगन को कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अतिरिक्त कथन

1. यह है कि वादीगन बेईमानी की नियत से दावा दायर किया है मय हर्जो खर्चा खारिज किया जावें।
2. यह है कि खातेदारी की आराजी पर वादीगन का कोई कानूनन अधिकार हासिल नही हो सकते ना कोई एडवर्श पजेशन बनता है ना ही कभी वादीगन का कब्जा राहा गलत तथ्य दर्ज किये है जो वाद काबिल खारिज किया जावें। अतः जबाव दावा पेश कर अर्ज है कि दावा खारिज फरमाया जावें। श्रीमान की महित कृपा करे।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षेत्रफल 2029, प्रदर्श–2 नकल इंतकाल नम्बर 1177, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी सम्वत 2061–64 व फोटोप्रति सनद पट्टा, फोटोप्रति बैयनामा पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण के वाद, प्रतिवादीगण का जबाव दावा व पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात के आधार पर तनकी कायम की गई जो निम्न प्रकार से है।

तनकी

1. आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1365 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर मंगूमल उर्फ मघनदास पुत्र पोहमूल खत्री को पुनर्वास विभाग द्वारा आंवटित आराजी थी जिस आराजी में से 2 बीघा 3 बिस्वा का बेचान मंगूमल ने जर्ये मुखत्यारआम दिनांक 06.07.1982 को प्रतिफल लेकर वादीगण को कर दिया तब से विवादित आराजी पर वादीगन काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए वादीगन विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसके हाल खसरा नम्बर 2599 रकबा 1.19 है0 है।

—: जिम्मे वादीगण

2. आया विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड मे साधूमल पुत्र खुशालदास का नाम गलत दरज चला आ रहा है, जो काबिल दुरूस्त है।

—: वादी

3. आया उक्त बैयनामा के आधार पर वादीगण के नाम इंतकाल नम्बर 1177 दरज व मंजूर हो गया परन्तु राजस्व रिकोर्ड में अमल नही आया।

—: वादी

4. अन्य दादरसी

वादी ने अपने वाद के समर्थन में गुलझारी पुत्र रामनाथ जाति अहीर निवासी बल्लूवास व नवल पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी बल्लूवास के शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य दर्ज करवाई गई।

प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 को आंवटन हुआ था। जिसका अमल राजस्व रिकोर्ड में हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने मुखत्यारनाम नत्थूराम के जर्ये आराजी ख्सरा नम्बर 1365 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डावर का विक्रय 6000 रूपये रोकडी में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.07.1982 को वादीगण नवलसिह व रोहताश को बेचान कर दिया था। वक्त खरीद से वादीगण विवादित आराजी पर कब्जा काश्त कर रहे है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। जिसके बाद भी प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद है। प्रतिवादी संख्या 02 के पिता खुशालदास का नाम राजस्व रिकोर्ड में बिला कब्जा व बिना किसी कानूनी अधिकार के दर्ज किया गया है। जो इन्द्राज मिन वादीगण के हक हुकको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। काबिल

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

दुरूस्त है। इसलिए वादी के वाद को स्वीकार कर हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा वादीगण द्वारा प्रतिवादी सख्या 01 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.07.1982 से क्रय की हुई है। मुताबिक रजिस्डर्ट बैयनामा वादीगण का नामान्तकरण दर्ज होकर स्वीकार हो चुका था परन्तु उसका राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नही हुआ। ऐसी स्थिति में वादी मुताबिक रजिस्टर्ड बैयनामा को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2599 रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के 43/94 का 2/3 भाग में वादीगण संख्या 01 व 2 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर में हो रहे खुशालदास पुत्र भैरूमल के नाम को कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल-तिजारा

(सुरेश कुमार बल्डवा)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
45/2009	13.02.2009	04.07.2025

बउनवान

1. नवल सिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रोहताश पुत्र श्री बुधराम जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1. मंगूमल उर्फ मघनदास पुत्र मोहूमल जाति खत्री (सिंधी) निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर जर्ये मुख्तायारआम नत्थूमल पुत्र श्री थावरमल जाति खत्री (सिंधी) निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल आबाद शंकर गुजर गली मकान नम्बर 515 चांदी की टकसाल जयपुर राज0।
2. साधूमल पुत्र श्री खुशालबास जाति सिंधी निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री जगन्नाथ यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 04.07.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई,** उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :—**

विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2599 रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के 43/94 का 2/3 भाग मे वादीगण संख्या 01 व 02 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर में हो रहे खुशालदास पुत्र भैरूमल के नाम को कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner